**राज्यों में पुलों के निर्माण संबंधी मानदंड**

1425. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में पुलों के निर्माण के लिए मानदंड क्या हैं;

(ख) पिछले वर्ष कौन-कौन से राज्य-वार कहां-कहां पुल निर्माणाधीन थे; और

(ग) इन पुलों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :** (क) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के लिए मानदंड इस प्रकार हैं :—

(1) वे भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा तथा विनिर्दिष्ट श्रेणी 70 आर का भार ढोने के लिए सुरक्षित होंगे;

(2) उनकी न्यूनतम 7.5 मीटर चौडाई का कैरिजवे होना चाहिए, और

(3) वे निमज्जक नहीं होने चाहिएं।

ऐसे उन सभी पुलों का निर्माण पारस्परिक प्राथमिकता और उपलब्ध निधियों के अध्याधीन किया जाता है जो उक्त मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है। **[देखिए** परिशिष्ट 164, अनुपत्र सं० 27]

**राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए उत्तर प्रदेश को धन का आवंटन**

1426. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क निधि से उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इस निधि के कौन-कौन से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सहायता प्रदान की गई ; और

(ग) वर्ष 1992–93 के दौरान उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी परियोजनाओं का कार्य आरम्भ किए जाने की संभावना है और उनके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :** (क) चूंकि केंद्रीय सड़क निधि में अभी तक, ससद द्वारा दिनांक 13–5–1988 को पारित संशोधित संकल्प के अनुरूप वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है इसलिए केंद्रीय सड़क निधि के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी योजना को मंजूरी नहीं दी गई है। तथापि पहले से ही अनुमोदित योजनाओं के लिए इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सडक निधि के तहत निम्नलिखित राशियां जारी की गई थीं :

(लाख रु०)

| वर्ष | जारी की गई निधियां |
|---|---|
| 1989–90 . . | 315.00 |
| 1990–91 . . | 250.00 |
| 1991–92 . . | — |

(ख) चूंकि संशोधित संकल्प के अनुरूप केंद्रीय सड़क निधि में अभी तक वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है जिसके अंतर्गत प्रोद्भूत राशि के 35/2% भाग को केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव हेतु प्रयोग किए जाने का प्रावधान है इसलिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण अथवा उनकी मरम्मत के लिए केंद्रीय सड़क निधि में से किसी भी कार्य को स्वीकृति नहीं दी गई है।